न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 06/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. रवीन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति पारीक निवासी चक तहसील दांतरामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री अनिल शर्मा वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 15.12.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 730, 743 लगायत 748, 820, 823, 824, 825, 826 कुल किता 12 कुल रकबा 17.53 है0 वाके ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें आवेदक का 369/7012 हक हिस्सा रिकार्ड सुदा है। प्रार्थी अपने उरोक्त हिस्सें पर काबीज होकर खोतदारी अनुसार अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहा है जिसमें राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा जामाबंदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज था लेकिन रेवन्यू अधिकारियों कि भूलवश/त्रूटिवश वादी/ प्रार्थीका नाम रवीन्द्र की जगह रामसहाय के नाम से अंकन हो गया व उक्त गलत अंकन की वजह से प्रार्थी राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ व सबसिडियां प्राप्त नहीं कर सकता इस प्रकार गलत नांमाकन के आधार पर रवीन्द्र उर्फ रामसहाय की जगह रामसहाय का अंकन हो गया है जिससे आवेदक को साम्पतिक अधिकारों का नुकसान होता है व राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं से वचिंत होना पड़ता है इसलिए वादी का राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

जमाबंदी में उसके हक हिस्से अनुसार नाम रामसहाय की जगह रवीन्द्र का अंकन होना आवश्यक है। वादी द्वारा दिनांक 22.10.2019 को अपने वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी की नकल प्रति निकलवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम रवीन्द्र की जगह रामसहाय का अंकन है। इसलिए वाद कारण पैदा होकर रिकार्ड दुरस्ती का दावा लाया जाना लाजिम हुआ। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 730, 743 लगायत 748, 820, 823, 824, 825, 826 कुल किता 12 कुल रकबा 17.53 है0 वाके ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में प्रार्थी का नाम रामसहाय के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम रवीन्द्र दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम रामसहाय के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम रवीन्द्र दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रामसहाय पुत्र सोहन लाल का नाम राजस्व ग्राम गोपीनाथपुरा की जमाबन्दी नामा0 सं0 448 के द्वारा सोहन पुत्र कल्याण की विरासत से आया है। जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में प्रार्थी

का नाम रवीन्द्र पुत्र सोहनलाल है। ग्राम पंचायत चक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में रवीन्द्र और रामसहाय एक ही व्यक्ति है। रामसहाय के स्थान पर रवीन्द्र किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 730, 743 लगायत 748, 820, 823, 824, 825, 826 कुल किता 12 कुल रकबा 17.53 है0 वाके ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम रामसहाय के स्थान पर प्रार्थी का नाम रवीन्द्र उर्फ रामसहाय दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ